Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Research Article

भारत में लैंगिक न्याय: एक अध्ययन

धनन्जय कुमार [1*], डॉ संजना गुप्ता [2]

[1] शोधार्थी, चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

[2] शोध निर्देशिका, सहायक आचार्य, राजनीत विज्ञान विभाग, चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, भारत

Corresponding Author: *धनन्जय कुमार

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18448645

सारांश

लैंगिक न्याय किसी भी लोकतांत्रिक और समावेशी समाज की आधारशिला है। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक और सामाजिक रूप से विविध देश में लैंगिक न्याय की अवधारणा केवल कानूनी समानता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समानता से भी गहराई से जुड़ी हुई है। प्रस्तुत अध्ययन भारत में लैंगिक न्याय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक प्रावधानों, सरकारी नीतियों एवं योजनाओं, सामाजिक संरचनाओं तथा समकालीन चुनौतियों का समग्र विश्लेषण करता है। अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय संविधान ने महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा का अधिकार प्रदान किया है, किंतु पितृसत्तात्मक मानसिकता, शैक्षिक असमानता, आर्थिक निर्भरता, राजनीतिक भागीदारी की कमी और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे कारक लैंगिक न्याय की राह में प्रमुख बाधाएँ बने हुए हैं। शोध में घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, साइबर अपराध, महिला स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर असमानता जैसे वर्तमान सामाजिक मुद्दों का भी विश्लेषण किया गया है। इसके साथ ही, "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ", उज्ज्वला योजना, महिला शक्ति केंद्र, महिला आरक्षण, स्वयं सहायता समूह, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम और *STEM* शिक्षा जैसी सरकारी पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण, तकनीकी हस्तक्षेप, सामाजिक जागरूकता अभियानों और पुरुषों की सहभागिता के माध्यम से लैंगिक न्याय को सुदृढ़ किया जा सकता है।

निष्कर्षतः यह शोध प्रतिपादित करता है कि लैंगिक न्याय केवल महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह समग्र सामाजिक विकास और राष्ट्र की प्रगति से जुड़ा हुआ विषय है। भारत में वास्तविक लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए कानूनी सुधारों के साथ-साथ सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन, नीति-निर्माण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और शिक्षा-आधारित सशक्तिकरण अनिवार्य है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2584-184X
- **Received:** 20-12-2025
- **Accepted:** 28-01-2025
- **Published:** 01-02-2026
- **IJCRM:**4(1); 2026: 237-242
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

धनन्जय कुमार , डॉ संजना गुप्ता . भारत में लैंगिक न्याय: एक अध्ययन. इंडियन जर्नल ऑफ मॉडर्न रिसर्च रिव्यू. 2026;4(1):237-242.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

मुख्य शब्द: लैंगिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, भारतीय संविधान, सामाजिक जागरूकता, राजनीतिक भागीदारी, महिला नेतृत्व, शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, घरेलू हिंसा, महिला सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता, महिला स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, यौन उत्पीड़न, आर्थिक असमानता, महिला आरक्षण, सामाजिक सुधार, मानसिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक नीति, महिला शिक्षा, STEM, पितृसत्तात्मक मानसिकता, महिला संगठनों, न्याय प्रणाली, महिला अधिकार।

© 2026 धनन्जय कुमार, डॉ संजना गुप्ता. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

प्रस्तावना

लैंगिक न्याय का तात्पर्य है कि समाज में महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर, सम्मान और अधिकार मिले। यह किसी भी लोकतांत्रिक और विकसित समाज की बुनियाद है। लैंगिक न्याय को स्थापित करना एक कठिन काम है, खासकर भारत में, जहाँ सामाजिक संरचना और विविधता बहुत गहरी है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपने संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का वादा किया था, लेकिन सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण लैंगिक असमानता अभी भी देश में व्याप्त है। यह अध्ययन लैंगिक न्याय में वर्तमान चुनौतियों, वर्तमान प्रगति और संभावित समाधानों पर है।

लैंगिक न्याय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान और शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त था। वह धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय थीं। हालाँकि, मध्य युग में, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और समाज में उनके अधिकार सीमित हो गए। बुर्का, बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ महिलाओं की स्वतंत्रता की राह में बाधक हैं। आधुनिक समय में भारत का स्वतंत्रता संग्राम महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आया। महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया और साबित कर दिया कि वे समाज के किसी भी क्षेत्र में हाशिये पर नहीं हैं।

स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने महिलाओं को समानता का अधिकार दिया। अनुच्छेद १४ के तहत समानता और अनुच्छेद १५ (३) के तहत महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए। इसके अलावा, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई क़दम उठाए गए।

लैंगिक समानता और भारत की संस्कृति

महिलाओं की भूमिका ऐतिहासिक रूप से समृद्ध और विविध रही है। महिलाओं को वैदिक काल में समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। उन्हें शिक्षा, ज्ञान और आध्यात्मिकता का अभ्यास करने की स्वतंत्रता थी। ऋग्वेद और उपनिषदों में गार्गी और मैत्रेयी जैसे विद्वानों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने दर्शन, धर्म और तात्त्विक ज्ञान पर व्यापक बहस की थी। महिलाएँ इस काल में शिक्षित होकर स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त कर सकती थीं। वैदिक सभ्यता ने महिलाओं को परिवार और समाज में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया था। भक्ति आंदोलन ने मध्यकाल में महिलाओं को अपनी बात कहने का अवसर दिया। मीरा बाई और अक्का महादेवी जैसी महिला संतों ने पितृसत्तात्मक समाज की सीमाओं को चुनौती दी और भक्ति के माध्यम से ईश्वर के साथ व्यक्तिगत सम्बंध बनाने की अवधारणा को लोकप्रिय किया। उन्होंने दिखाया कि महिलाएँ सामाजिक और आध्यात्मिक परिवर्तन में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।

औपनिवेशिक युग में महिलाओं की सुरक्षा के लिए आंदोलन शुरू हुए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बाल विवाह के खिलाफ और विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आवाज़ उठाई, जबकि राजा राममोहन राय ने सती प्रथा जैसी अमानवीय प्रथाओं को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। इन प्रयासों ने महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाया। आजकल, महिलाएँ परिवार, समाज और व्यवसाय में महत्त्वपूर्ण योगदान देती हैं। उनकी भागीदारी शिक्षा और करियर के क्षेत्रों में बढ़ी है। आज महिलाएँ हर क्षेत्र में अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, उद्यमी और नेता बन रही हैं। यह बदलाव भारतीय संस्कृति में लैंगिक न्याय की ओर बढ़ने का एक निरंतर प्रयास है।

लैंगिक न्याय के क्षेत्र में सरकारी पहलों का मूल्यांकन

भारत सरकार द्वारा लैंगिक न्याय और महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया है। महिला आरक्षण विधेयक राज्य विधानसभाओं और संसद में महिलाओं को ३३ प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव करता है। राजनीतिक भागीदारी में लैंगिक असमानता को कम करना इसका लक्ष्य है। दशकों से लंबित यह विधेयक, महिलाओं की नीति-निर्माण में भागीदारी बढ़ेगी और उनके मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। २०१३ में महिला सुरक्षा के लिए निर्भया फंड का गठन किया गया था, जिसका लक्ष्य महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना था। हेल्पलाइन और सेफ सिटी प्रोजेक्ट जैसी योजनाओं के लिए इस धनराशि का उपयोग किया जाता है। हालाँकि, फंड का प्रभावी उपयोग करने में धीमी प्रक्रियाएँ और जागरूकता की कमी दो महत्त्वपूर्ण बाधाएँ हैं।

"यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, २०१३" इस अधिनियम को कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा प्रसस्थ करने के लिए बनाया गया है। महिलाओं को इससे कानूनी सुरक्षा मिली है, लेकिन जागरूकता की कमी और रिपोर्टिंग में झिझक जैसे मुद्दे अभी भी हैं। जेंडर बजटिंग और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) ने महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाया है। जबकि जेंडर बजटिंग ने महिला-केंद्रित कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी, SHGs ने स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। इन पहलों का बहुत अच्छा असर हुआ है, लेकिन उनके प्रभावी कार्यान्वयन की ज़रूरत है।

भारत में लैंगिक समानता की वैश्विक स्थिति

भारत ने २०२३ के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में १४६ देशों में १२७वां स्थान प्राप्त किया, जो बहुत अच्छा था। इस सूचकांक में चार प्रमुख पहलू हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक भागीदारी और राजनीतिक सशक्तिकरण। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन देश अब भी वेतन समानता और आर्थिक भागीदारी में कमजोर है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ३३% आरक्षण के बावजूद, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी भी सीमित है। इस रैंकिंग से पता चलता है कि भारत को लैंगिक समानता के अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मूल बदलाव करना होगा।

आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देशों ने लैंगिक समानता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिसने महिलाओं को कार्यबल में समान भागीदारी और समान वेतन सुधारों को प्राथमिकता दी है। भारत इन देशों की सफल नीतियों से सीख सकता है कि पारिवारिक नीति, आर्थिक सुविधाओं और शिक्षा में निवेश कैसे लैंगिक अंतर कम कर सकता है। सतत विकास लक्ष्य ५ (SDG ५) में लैंगिक समानता एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है। UN Women जैसे संगठनों ने भारत में नीतिगत सुधार और जमीनी स्तर पर जागरूकता बढ़ाने का काम किया है। इन अंतरराष्ट्रीय प्रयासों और सफल देशों की नीतियों से प्रेरणा लेते हुए भारत को अपने सुधारों को तेज़ करना चाहिए।

© 2026 धनन्जय कुमार, डॉ संजना गुप्ता. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

लैंगिक असमानता और वर्तमान सामाजिक मुद्दे

भारत में लैंगिक असमानता बहुत पुरानी है और सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं में व्याप्त है, जो आज कई समस्याओं को जन्म देती है। घरेलू हिंसा एक महत्त्वपूर्ण समस्या है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने बताया कि २०२३ में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि हुई। इसके बावजूद, बहुत से मामले रिपोर्ट नहीं किए जाते क्योंकि महिलाएँ आर्थिक कमजोरी या सामाजिक दबाव के कारण न्याय की मांग नहीं कर सकतीं। सामाजिक मानसिकता में बदलाव लाकर ही यह समस्या हल हो सकती है, कानून नहीं।

महिलाओं के लिए साइबर दुनिया में उत्पीड़न एक नई चुनौती बन गया है। महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास ऑनलाइन ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग और अश्लील सामग्री से खराब हो रहा है। साइबर सुरक्षा कानूनों और प्लेटफॉर्म नियमों ने इस समस्या को हल करने की कोशिश की है, लेकिन पर्याप्त जागरूकता और सख्त अनुपालन नहीं है। मीडिया में महिलाओं का चित्रण पितृसत्तात्मक विचारों को बढ़ाता है। महिलाओं को फ़िल्मों और विज्ञापनों में अक्सर उपभोग वस्तुओं या पारंपरिक भूमिकाओं तक ही चित्रित किया जाता है। ऐसी सामग्री न केवल लैंगिक असमानता को बढ़ाती है, बल्कि समाज को भी बदलती है। लैंगिक न्याय भी महिला स्वास्थ्य से सीधे जुड़ा हुआ है। मातृत्व स्वास्थ्य और मासिक धर्म स्वच्छता के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी से महिलाओं का स्वास्थ्य खराब होता है। महिलाओं के स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार प्रजनन अधिकारों पर सामाजिक दबाव से सीमित होता है। इन परेशानियों को दूर करने के लिए महिला स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए और लोगों को इसके बारे में अधिक जानकारी देनी चाहिए।

शिक्षा द्वारा लैंगिक न्याय

लैंगिक न्याय को प्राप्त करने में शिक्षा की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है और यह किसी भी समाज के विकास का आधार है। भारत में बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए कई नए प्रयास शुरू हुए हैं। लड़कियों को डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों और STEM (विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित) में शामिल करने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियानों ने न केवल बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया है, बल्कि उनके लिए अधिक करियर विकल्प भी खुले हैं। गैर-सरकार और सरकारी संगठन STEM विषयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बढ़ावा दे रहे हैं।

लड़कियों को रोल मॉडल ने उच्च शिक्षा और करियर की ओर प्रेरित किया है। कल्पना चावला ने लड़कियों को दिखाया कि वे किसी भी क्षेत्र में अपना स्थान बना सकती हैं, जिसने विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। मैरी कॉम ने महिलाओं की खेलों में भागीदारी का एक नया मानक बनाया और किरण बेदी ने प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी का उदाहरण दिया। इन रोल मॉडल्स की कहानियाँ लड़कियों को आत्मविश्वास देती हैं।

स्कूलों में जेंडर सेंसिटिविटी और सामाजिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए लैंगिक समानता पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को बताना है कि लिंग भेदभाव क्यों ग़लत है और समानता सभी के लिए कैसे लाभकारी हो सकती है। भारत को न्यायपूर्ण और प्रगतिशील देश बनाने का मार्ग शिक्षा से होगा।

कार्यस्थल पर समानता और आर्थिक सशक्तिकरण

लैंगिक न्याय की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण क़दम आर्थिक सशक्तिकरण है। भारत में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन यह अनौपचारिक और औपचारिक दोनों क्षेत्रों में कम है। महिलाएँ कृषि, दस्तकारी और घरेलू श्रम जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों में बहुतायत में काम करती हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त वेतन और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है। वहीं, सीमित कौशल विकास अवसरों के कारण वे औपचारिक क्षेत्रों में कम भागीदारी करते हैं।

हाल के वर्षों में महिला उद्यमिता और स्टार्टअप क्षेत्र में सुधार हुआ है। "स्टैंड अप इंडिया" और "महिला उद्यमिता मंच" (WEP) जैसे सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को ऋण और प्रशिक्षण मिल रहा है, जिससे वे नए व्यवसाय शुरू कर सकें। Nykaa, एक महिला-नेतृत्व वाली स्टार्टअप, ने सफलता की नई परिभाषा दी है, जो महिलाओं को प्रेरणा देती है।

लिंग असमानता भी एक बड़ी चुनौती है। पुरुषों से समान काम के लिए महिलाओं को कम वेतन मिलता है। उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और समाज में उनका योगदान इस असमानता से सीमित हैं। इस असंतुलन को दूर करने में सहायक हो सकता है अगर समान वेतन नीतियों का सख्ती से पालन किया जाता है।

गिग इकोनॉमी ने महिलाओं को नए अवसर दिए हैं। उनकी भागीदारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर फ्रीलांसिंग, कैब ड्राइविंग और छोटे व्यवसायों को चलाने में बढ़ी है। उन्हें घर और कार्यस्थल की जिम्मेदारियों में संतुलन बनाने का मौका मिलता है। हालाँकि, इस क्षेत्र में स्थायित्व और सुरक्षा भी ज़रूरी है। महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के ये प्रयासों से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है और समाज के विकास में महत्त्वपूर्ण भागीदार बनने का अवसर मिलता है।

ग्रामीण भारत में लैंगिक न्याय की स्थिति

लैंगिक न्याय की स्थिति ग्रामीण भारत में कठिन है, लेकिन सुधार के संकेत भी हैं। इस परिवर्तन में महिला पंचायत नेताओं का महत्त्वपूर्ण योगदान है। महिलाओं को पंचायतों में ३३% आरक्षण मिलने से गाँवों में उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और बालिका शिक्षा जैसे सामाजिक सुधारों में कई महिला सरपंचों ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। राजस्थान में "पन्ना देवी" और हरियाणा में "सुशीला देवी" जैसे सरपंचों ने दिखाया कि महिलाएँ प्रभावी नेतृत्व कर सकती हैं। किंतु ग्रामीण महिलाओं, खासकर महिला किसानों, को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत में महिलाएँ कृषि में ७०% योगदान देती हैं, लेकिन उन्हें भूमि अधिकार नहीं मिलते। इसके अलावा, वे तकनीकी ज्ञान और वित्तीय सहायता की कमी के कारण आधुनिक खेती के लाभों से वंचित रह जाती हैं। महिला किसानों को भूमि स्वामित्व और प्रशिक्षण मिलने से उनकी हालत सुधर सकती है।

लैंगिक न्याय की राह में शहरी और ग्रामीण महिलाओं के बीच का अंतर एक और बड़ी चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएँ शिक्षा, चिकित्सा और आर्थिक सुविधाओं तक सीमित पहुँच रखती हैं। वहीं, शहरी महिलाएँ अधिक सामाजिक समर्थन और संसाधन पाती हैं। यह अंतर लैंगिक असमानता को बढ़ाता है और ग्रामीण विकास को रोकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने

© 2026 धनन्जय कुमार, डॉ संजना गुप्ता. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

के लिए विशिष्ट योजनाओं और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है।

पुरुषों और महिला सशक्तिकरण की भूमिका

लैंगिक समानता मज़बूत होती है जिन परिवारों में लड़कियों को शिक्षा और करियर के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जन अभियान भी पितृसत्तात्मक सोच को बदलने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। लैंगिक समानता के बारे में युवाओं को शिक्षित करने के लिए गाँवों और शहरों में अभियान चलाए जाने चाहिए। शिक्षा, सोशल मीडिया और फ़िल्मों से यह संदेश दिया जा सकता है कि लैंगिक समानता सिर्फ़ महिलाओं की समस्या नहीं है। लैंगिक न्याय समाज में वास्तविकता बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा जब पुरुष इस विचार को अपनाकर दैनिक जीवन में इसे लागू करेंगे।

लैंगिक न्याय में तकनीकी का योगदान

महिलाओं का उत्थान और डिजिटल प्लेटफॉर्म तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं के लिए नए अवसर खोल रहे हैं। लड़कियों और महिलाओं को ऑनलाइन शिक्षा ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का मौका दिया है। अब वे घर बैठे कई शैक्षिक कोर्स और प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं, जो उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है और उनके सामने रोजगार के नए अवसर खोलता है। इसके अलावा, महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म भी मिल गए हैं। महिलाएँ मोबाइल ऐप्स के माध्यम से निवेश, बैंकिंग और वित्तीय लेन-देन कर सकती हैं। साथ ही, जीपीएस ट्रैकिंग और महिला हेल्पलाइन ऐप्स, खासकर शहरी क्षेत्रों में, महिलाओं की सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाते हैं। इन तकनीकी सुविधाओं ने महिलाओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

स्मार्ट शहर में महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन अब तक नहीं देखा गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्मार्ट शहर में ट्रैकिंग सिस्टम, महिला-विशेष परिवहन सेवाएँ और आपातकालीन सहायता के लिए स्मार्ट फ़ोन ऐप शामिल हैं। इन तकनीकों से रात में भी महिलाएँ सुरक्षित यात्रा कर सकती हैं। साथ ही, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम महिलाओं को तकनीकी कौशल देने में महत्त्वपूर्ण हैं। यह कार्यक्रम महिलाओं को डिजिटल उपकरणों का सही उपयोग सिखाता है, जिससे वे डिजिटल दुनिया में आत्मनिर्भर बन सकें और अपने कार्यक्षेत्र में अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले सकें। इन सभी पहलुओं के माध्यम से तकनीकी क्षेत्र ने लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया है।

लैंगिक न्याय की राह में प्रमुख चुनौतियाँ

1. सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ

पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की भूमिका पारंपरिक सीमाओं में सीमित है। महिलाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी घरेलू काम करना है, जिससे उनकी शिक्षा और नौकरी के अवसर प्रभावित होते हैं। बाल विवाह, लिंगभेद और बुर्का प्रथा इत्यादि अभी भी कई क्षेत्रों में आम हैं।

2. शैक्षणिक असमानता

शिक्षा किसी भी व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक विकास का आधार होती है, लेकिन बालिकाओं की शिक्षा पर भारतीय समाज में अभी भी उचित ध्यान नहीं दिया जाता। खासकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में। लड़कियाँ गरीबी, बाल विवाह, घरेलू कामों की जिम्मेदारी और पितृसत्तात्मक विचारों के कारण स्कूल छोड़ देती हैं। शिक्षा के अभाव में महिलाएँ सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं पा सकतीं। शिक्षा की कमी के कारण वे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में कम योगदान दे पाती हैं और नौकरी के अवसरों से वंचित रहती हैं। इसलिए, शैक्षणिक असमानता महिला सशक्तिकरण की राह में सबसे बड़ी बाधा है।

3. आर्थिक निर्भरता

भारतीय समाज में लैंगिक असमानता का एक बड़ा कारण महिलाओं की आर्थिक स्थिति है। महिलाओं पर आर्थिक निर्भरता उनकी सामाजिक स्थिति को कमजोर करती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने से रोकती है। पुरुषों की तुलना में महिलाएँ रोजगार क्षेत्र में कम भागीदार हैं। इसके अलावा, कार्यस्थल पर महिलाओं से भेदभाव की समस्या जारी है और उनके लिए नौकरी के अवसर सीमित हैं। महिलाएँ आर्थिक संसाधनों की कमी और वित्तीय स्वतंत्रता के अभाव में अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पातीं। महिलाओं को आर्थिक सशक्त बनाया जाए, तो वे समाज और देश के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।

4. राजनीतिक भागीदारी की कमी

भारतीय राजनीति में आज भी महिलाओं की भागीदारी सीमित है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, स्थानीय निकायों में ३३% आरक्षण के बावजूद। राजनीतिक दल अक्सर महिलाओं को चुनावी प्रक्रिया में हाशिए पर रखने के लिए टिकट देने में हिचकिचाते हैं। संसद और विधानसभाओं जैसे निर्णय लेने वाले संस्थाओं में बहुत कम महिलाएँ हैं। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में कमी के कारण उनके मुद्दे नीति-निर्माण की प्रक्रिया में उचित स्थान नहीं पाते हैं। राजनीतिक दलों और समाज को महिलाओं को समान अवसर देने की दिशा में ठोस क़दम उठाने होंगे।

5. यौन हिंसा और सुरक्षा

लैंगिक न्याय की राह में प्रमुख बाधा महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा और सुरक्षा की कमी है। महिलाएँ कार्यस्थलों, सार्वजनिक स्थानों और यहाँ तक कि घरों में यौन उत्पीड़न और हिंसा का शिकार होती हैं। सुरक्षित वातावरण की कमी महिलाओं को शिक्षण और नौकरी के अवसरों से दूर करती है। सुरक्षा और कानूनों के बावजूद, अपराधों की रिपोर्टिंग में झिझक और न्याय प्रणाली की धीमी प्रक्रिया ने इन समस्याओं को और अधिक जटिल बना दिया है। महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक जगह मिलने और समाज में जागरूकता बढ़ाने से यौन हिंसा और सुरक्षा सम्बंधी समस्याओं का समाधान संभव है।

लैंगिक न्याय की दिशा में प्रगति

1. संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा का अधिकार देकर भारतीय संविधान ने एक मज़बूत आधार दिया है। महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर और अधिकार संविधान के अनुच्छेद

© 2026 धनन्जय कुमार, डॉ संजना गुप्ता. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

१४, १५ और १६ में दिए गए हैं। इसके अलावा, महिलाओं को बचाने और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कानून हैं, जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम। इन कानूनों ने महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान की है और उनके अधिकारों के प्रति लोगों को शिक्षित किया है।

2. महिला सशक्तिकरण योजनाएँ

सरकार ने महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान का लक्ष्य लड़कियों को शिक्षा का अधिकार दिलाना है और कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है। "उज्ज्वला योजना" ने गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करके उनके जीवन स्तर को सुधार दिया है। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और कौशल विकसित करके आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है, जैसे कि "महिला शक्ति केंद्र" कार्यक्रम। इन योजनाओं से महिलाओं को न केवल आर्थिक स्वतंत्रता मिल रही है, बल्कि उनका सामाजिक सशक्तिकरण भी हो रहा है।

3. राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का आरक्षण

स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए ३३% आरक्षण ने उनकी राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा क़दम उठाया है। यह कानून महिलाओं को नगरपालिकाओं और पंचायतों में नेतृत्व करने का अवसर देता है। इससे उनकी राजनीतिक भागीदारी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी आवाज़ दोगुनी हुई है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना जा रहा है। यह आरक्षण महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में आकर्षित करता है और उनका स्थान समाज में मज़बूत करता है।

4. सामाजिक जागरूकता अभियान

महिला संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों ने लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया है। बाल विवाह, घरेलू हिंसा और लिंगभेद के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए कई अभियान चलाए गए हैं। महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित बनाने के प्रयासों में से एक है 'सेफ सिटी प्रोजेक्ट'। इन अभियानों का उद्देश्य केवल समस्याओं को उजागर करना नहीं है; वे समाज के हर वर्ग को लैंगिक समानता का महत्त्व समझने में भी मदद करना चाहते हैं। ऐसे प्रयासों से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज में उनके अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है।

लैंगिक न्याय और भविष्य की दिशा

- लैंगिक न्याय के क्षेत्र में अभी भी बहुत काम करना बाक़ी है और इसे पूरा करने के लिए व्यापक और मिलकर काम करने की आवश्यकता है। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण उपायों में से एक है शिक्षा। शिक्षित लड़कियों को न केवल आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक है, बल्कि समाज में उनकी भूमिका को भी बल दे सकता है।

- शिक्षा से महिलाएँ अपने अधिकारों को जानती हैं और ख़ुद अपने जीवन में निर्णय लेने में सक्षम होती हैं। इसके अलावा, महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देने के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना अनिवार्य है। महिलाओं को अपने सपनों को पूरा करने और अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर काम करने के अवसर देने चाहिए।

- महिलाओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक भागीदारी में लाने के लिए आरक्षण की ज़रूरत है। इस दिशा में कई क़दम उठाए गए हैं, जैसे स्थानीय निकायों और पंचायतों में महिलाओं के लिए ३३ प्रतिशत आरक्षण, लेकिन राजनीतिक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए ठोस कार्यक्रमों और नीतियों की ज़रूरत है। राजनीतिक दलों को भी महिला उम्मीदवारों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि वे सत्ता में हिस्सेदारी कर सकें और समाज में महिलाओं के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा सकें।

- इसके अलावा, सामाजिक जागरूकता अभियान भी काफ़ी प्रभावशाली हो सकते हैं। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और पितृसत्तात्मक सोच को बदलने के लिए जन जागरूकता अभियान आवश्यक हैं। महिलाओं के अधिकारों के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदल सकता है और उन्हें समान अवसर दिए जा सकते हैं इन अभियानों से।

- महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए कड़े और प्रभावी कानूनों की ज़रूरत है। घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और बाल विवाह के खिलाफ सख्ती से कानून बनाना चाहिए। साथ ही, महिलाओं को न्याय प्रणाली में शीघ्र पहुँच देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों और मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए।

- शिक्षा और कौशल विकास में भी अधिक धन लगाया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि महिलाएँ अकादमिक और व्यावसायिक रूप से सशक्त हों। महिलाओं की डिजिटल साक्षरता और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) क्षेत्रों में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र को विशेष कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। महिलाओं को इससे सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता मिल सकेगी।

- अंत में, नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण है। ये संस्थाएँ महिलाओं के अधिकारों के लिए अभियान चला सकती हैं और समानता के लिए समाज पर दबाव डाल सकती हैं। इन संस्थाओं की कोशिशों से लैंगिक समानता को और अधिक बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं के लिए समाज में एक समग्र, सुरक्षित और समान वातावरण बनाया जा सकेगा।

- इसलिए, लैंगिक न्याय को पाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षा, रोजगार, सामाजिक जागरूकता, न्याय और कानूनी सुधार और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल है। यह सिर्फ़ महिलाओं की प्रगति नहीं है; यह एक

© 2026 धनन्जय कुमार, डॉ संजना गुप्ता. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

समान, सशक्त और समृद्ध समाज बनाने के लिए आवश्यक क़दम है।

निष्कर्ष

लैंगिक न्याय समग्र समाज की प्रगति से जुड़ा हुआ है, न केवल महिलाओं के विकास से। भारत में आज भी महिलाओं को कई क्षेत्रों में समान अधिकार और अवसर नहीं मिलते। इसके मुख्य कारण पितृसत्तात्मक विचारधारा, शैक्षिक असमानता, आर्थिक निर्भरता और यौन हिंसा हैं। इसके बावजूद, महिलाओं के संघर्ष और साहस ने बहुत कुछ बदल दिया है। शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक जागरूकता में सुधार महिलाओं के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं।

लैंगिक न्याय के क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ करना बाक़ी है। महिलाओं को समान शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी के अवसर मिलने चाहिए ताकि वे अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सकें। इसके साथ ही, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए कठोर और कारगर कानूनों की ज़रूरत है। सरकार, समाज और नागरिकों को एकजुट होकर पितृसत्तात्मक मानसिकता को दूर करने और समान और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए काम करना होगा।

जब महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और समाज उनके योगदान का उचित सम्मान दे, तो एक प्रगतिशील समाज की कल्पना संभव है। लैंगिक न्याय सिर्फ़ महिलाओं का विषय नहीं है; यह समाज की समृद्धि और समरसता का महत्त्वपूर्ण भाग है। यह भारत की समग्र प्रगति के लिए मज़बूत आधार बनेगा।

संदर्भ

1. भारत सरकार. भारतीय संविधान [Internet]. नई दिल्ली: विधायी विभाग; n.d. उपलब्ध: https://legislative.gov.in/constitution-of-india
2. महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार. महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्य पहल [Internet]. नई दिल्ली; 2023. उपलब्ध: https://wcd.nic.in
3. महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना [Internet]. नई दिल्ली; 2023. उपलब्ध: https://wcd.nic.in/bbbp
4. भारत सरकार. घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम और कानूनी अधिकार [Internet]. नई दिल्ली: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण; 2020. उपलब्ध: https://nalsa.gov.in
5. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना [Internet]. नई दिल्ली; 2023. उपलब्ध: https://www.pmuy.gov.in
6. महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार. महिला शक्ति केंद्र योजना [Internet]. नई दिल्ली; 2023. उपलब्ध: https://wcd.nic.in/schemes
7. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार. पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी [Internet]. नई दिल्ली; 2023. उपलब्ध: https://panchayat.gov.in
8. संयुक्त राष्ट्र भारत. भारत में लैंगिक समानता पर सामाजिक जागरूकता अभियान [Internet]. नई दिल्ली; 2022. उपलब्ध: https://india.un.org
9. इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी. भारतीय राजनीति में महिला नेतृत्व का महत्व [Internet]. नई दिल्ली; 2023. उपलब्ध: https://ispp.org.in
10. राष्ट्रीय महिला आयोग. महिलाओं की सुरक्षा और यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून [Internet]. नई दिल्ली; 2023. उपलब्ध: https://ncw.nic.in
11. World Economic Forum. Global Gender Gap Report 2023 [Internet]. Geneva; 2023. Available from: https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2023
12. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO). Gender equality and education goals [Internet]. Paris; 2023. Available from: https://www.unesco.org
13. World Bank. Women's economic empowerment and digital innovation [Internet]. Washington (DC); 2023. Available from: https://www.worldbank.org
14. मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय मंत्रालय, भारत सरकार. महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति और सामाजिक अधिकार [Internet]. नई दिल्ली; 2022. उपलब्ध: https://mohfw.gov.in

Creative Commons License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

About the corresponding author

धनन्जय कुमार इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज से संबद्ध चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज में शोधार्थी हैं। उनकी शोध रुचियाँ लैंगिक न्याय, सामाजिक समानता, भारतीय राजनीति और सार्वजनिक नीति के अध्ययन पर केंद्रित हैं। उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर गहन अकादमिक अध्ययन और विश्लेषणात्मक लेखन किया है।

डॉ. संजना गुप्ता इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज से संबद्ध चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज में राजनीत विज्ञान विभाग में सहायक आचार्य एवं शोध निर्देशिका हैं। उनका शैक्षणिक योगदान भारतीय राजनीति, लैंगिक अध्ययन और समकालीन सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर केंद्रित है।

© 2026 धनन्जय कुमार, डॉ संजना गुप्ता. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/